कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1687 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः २० फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद बागेश्वर में गरूड–कौसानी मोटर मार्ग से दयोराडा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/15521/2015)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/143/2018/एफ0सी0/1316 दिनांकः–22.09.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2012/12–1(2) दिनांक 09.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में वन संरक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.975 हे0 ग्राम बदियाकोट सिविल खसरा न0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा एवं प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। **(संलग्नक–1)**
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.975 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम बदियाकोट सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा एकल प्लांटेशन से बचें	
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात्	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.975 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल

	ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guidelie para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एव 10 तक रख–रखाव हेतु रू0 10,03,122.00 की धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)** उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.975 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल भूमि को जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा इस वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति व खसरा खतौनी की नकल की प्रति संलग्न है। **(सलंग्नक–2)**
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **1.4875 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 09,77,288.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से कैम्पा कोष के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
5	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 47 trees से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2 the state Govt. will strictly monitor and ensure the no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1629 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Received 20/2/24
Gopal Bisht
Van Bhoomi Assistant
PWD Bgr